



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26280 वर्ष 2026

जबर सिंह

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनीष जोशी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- विद्वान अधिवक्ता श्री शहाबुद्दीन ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश जोशी, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री शहाबुद्दीन और राज्य की ओर से एजीए- प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्य की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 212/2026, धारा 87, 103(1), 3(5), 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन मेडिकल, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और न ही उस पर मृतक की हत्या का आरोप है। उसे जांच के दौरान इस आरोप के साथ वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है कि वह वार्ड बॉय था और उसने मृतक को उस अस्पताल में भर्ती कराया था जिसे सह-आरोपी शाजिदा ने हत्या के मामले की बात छुपाकर ले जाया था।
- उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त आरोप के अलावा आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई अन्य आरोप नहीं है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 22.05.2026 से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
- आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जांच के दौरान उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है और मृतक की हत्या करने का कोई आरोप नहीं है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक वार्ड बॉय था और जब सह-आरोपी शाजिदा ने मृतक की हत्या करने के बाद उसे अस्पताल ले गई, तो उसने हत्या का मामला होने की बात छिपाकर मृतक को अस्पताल में भर्ती कराने में उसकी मदद की।

10. इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोप के अलावा आवेदक के विरुद्ध रिकॉर्ड में कोई अन्य आरोप नहीं है।

11. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 22.05.2026 से जेल में है।

12. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक - **जबर सिंह** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)